162

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

विविध प्र0क0 9275 /2016 जवलपुर R-9275-I-16

श्री .... द्वारा आज दि 2-12-16 को प्रस्तुत
2-12-16
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

643
2-12-16

कमल सिंह पिता श्री पुन्नू सिंह निवासी ग्राम सिहोरा पोस्ट घाटपिपरिया थाना बरगी जिला जवलपुर म.प्र.।

.............अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. अटल उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी 1926/6 कजरवारा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.
3. राजेश उपाध्याय पिता श्री के.एल. उपाध्याय निवासी एस.एफ.आई. जवलपुर म.प्र.।

...........प्रत्यार्थीगण

आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अपीलार्थी द्वारा ग्राम मंगेली प.ह.न. 30(मानेगांव) रा0नि0मं0 जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 107 रकवा 0.740 हे. भूमि अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर बच्चो की शिक्षा एंव पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ती भूमि को विकय किये जाने की अनुमति

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9275–एक/2016 जिला –जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल द्वारा अपील प्रकरण कमांक 1779–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 24.6.16 में कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण कमांक 40/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 19.5.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 24.6.16 से विकय की अनुमति दी गई थी। 2– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक से तीन माह के अन्दर पंजीयन करने की शर्त पर दी गई परन्तु आवेदक एवं अनावेदक आर्थिक परेशानी की वजह से नियत समय के अन्दर उक्त पंजीय का निष्पादन नहीं करा सका। अतः उसे तीन माह के लिये और बढाया जावे। 3– आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक अपील 1779–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 24.6.16 में दी गई पंजीयन कराने की शर्त आगामी तीन माह के लिये शर्त कमांक 1 बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	